

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ-ब्लॉक, रोक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक / Q-1 / छात्र/काउंसिलिंग/संचिशि/2023

रायपुर, दिनांक / 22/07/2023


NEET-UG (MBBS & BDS) – 2023 में छ.ग. राज्य कोटे से प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन सूचना


छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय में संचालित स्नातक पाठ्यक्रम (एमबीबीएस/बीडीएस) में प्रवेश वर्ष 2023 हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

सभी आवेदक ऑन-लाईन पंजीयन करने के पूर्व छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) स्नातक प्रवेश नियम, 2018 (विशेषकर आरक्षण/काउंसिलिंग प्रक्रिया/बॉण्ड इत्यादि) एवं सूचनापत्र (Information Bulletin) का पूर्णतः अध्ययन कर ही ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ करें, जो वेबसाइट www.cgdme.admissions.nic.in एवं www.cgdme.in में उपलब्ध है।

क्र.	प्रक्रिया का विवरण	विवरण
1	ऑनलाईन आवेदन शुल्क (Non Refundable)	1. अनारक्षित श्रेणी (UR) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी हेतु रु. 1000/- (रु. एक हजार मात्र) 2. अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी हेतु रु. 500/- (रु. पांच सौ मात्र) 3. अप्रवासी भारतीय नियतांश (NRI) हेतु रु. 10000/- (रु. दस हजार मात्र)
2	पंजीयन राशि (सुरक्षा निधि राशि - Security Deposit Money)	देखें इस सूचना के पेज क्रं.2 की पंजीयन राशि तालिका
3	ऑनलाईन आवेदन – प्रारंभ तिथि	दिनांक 25 जुलाई 2023, समय (Server Time) 13:00 Hrs से
4	ऑनलाईन आवेदन – अंतिम तिथि	दिनांक 01 अगस्त 2023, समय (Server Time) 11:59 Hrs तक
5	संस्था चयन –	ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ तिथि से अंतिम तिथि तक

माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिका WPC No. 1632 of 2022 Prachi Sharma D/o Shri Mukesh Sharma Vs State Of Chhattisgarh, WPC No. 1691 of 2022 Mayank Kumar Pandey vs Union of India, through the Secretary and others एवं अन्य प्रकरण के कारण काउंसिलिंग में न्यायालयीन जटिलताओं के निवारण हेतु इस वर्ष ऑल इंडिया ऑनलाईन आवेदन की भांति चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम (MBBS/BDS) काउंसिलिंग में ऑनलाईन आवेदन के समय ही ऑन-लाईन आवेदन शुल्क एवं पंजीयन राशि (सुरक्षा निधि राशि - Security Deposit Money) जमा किया जाना होगा।


23/07/23


23/7/23

क्रमशः.....2.....

पंजीयन राशि (सुरक्षा निधि राशि):— यह राशि वापसी योग्य (Refundable) है, किन्तु द्वितीय काउंसिलिंग में आवंटन उपरान्त प्रवेश नहीं लेते हैं, तथा प्रवेश लेकर सीट त्यागते हैं तो, यह राशि राजसात (forfeit) कर ली जायेगी।


(बीडीएस पाठ्यक्रम में यह पंजीयन राशि लागू नहीं है)


(केवल पंजीयन राशि हेतु देखें: भारत का राजपत्र असाधारण भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् संशोधन अधिसूचना नई दिल्ली, 18 मई, 2018 सं.मा.आ.प. -34(41) / 2018-गेड/109835 के नियम 5 की तालिका क्रमांक-4)

श्रेणी	शासकीय महाविद्यालय हेतु पंजीयन राशि (सुरक्षा निधि राशि)	निजी महाविद्यालय अथवा निजी महाविद्यालय + शासकीय महाविद्यालय हेतु पंजीयन राशि (सुरक्षा निधि राशि)
UR	10000/- (रु. दस हजार मात्र)	100000/- (रु. एक लाख मात्र)
SC/ST/OBC	5000/- (रु. पांच हजार मात्र)	100000/- (रु. एक लाख मात्र)

ऑन-लाईन पंजीयन आवश्यक जानकारी :-

1. ऑन-लाईन पंजीयन करने के पूर्व छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) स्नातक प्रवेश नियम, 2018 एवं सूचनापत्र (Information Bulletin) का पूर्णतः अध्ययन कर ले, विशेषकर आरक्षण/काउंसिलिंग प्रक्रिया/बॉण्ड/दिव्यांगजन/अन्य संवर्ग इत्यादि।
2. ऑन-लाईन आवेदन के साथ ही संस्था का चयन भी करे, क्योंकि संस्था चयन (Choice) हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।
3. यदि ऑन-लाईन आवेदन पूर्ण करने के बाद Lock & Submit भी कर चुके हैं, तब भी ऑनलाईन आवेदन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन हेतु निशुल्क Reset करने की सुविधा आवेदन की अंतिम तिथि तक उपलब्ध रहेगी।
4. काउंसिलिंग की प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी हेतु वेबसाइट www.cgdme.admissions.nic.in एवं www.cgdme.in का प्रतिदिन नियमित अवलोकन करें।
5. काउंसिलिंग संबंधी सूचना जारी होने के पश्चात संवीक्षा एवं प्रवेश हेतु कम समय की संभावना बनी रहती है, अतः लगातार नियमित वेबसाइट www.cgdme.admissions.nic.in एवं www.cgdme.in का अवलोकन करे एवं समस्त दस्तावेजों की स्क्रीन एवं प्रवेश प्रक्रिया देखें, स्नातक प्रवेश नियम 2018 के नियम 7 (XXI) का अवलोकन करें तथा ऑन-लाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध रखें (देखें : छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) स्नातक प्रवेश नियम-2018 के नियम 7 (iii))।
6. ऑनलाईन आवेदन में कोई भी त्रुटि (जैसे :- अपूर्ण आवेदन/पंजीयन फीस का गेटवे (Bank Gateway) से जमा न होना इत्यादि) होने पर आप अपात्र हो जाते हैं। अतः ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि से 24 घण्टे पूर्व कार्यवाही पूर्ण करना, एक सुरक्षित प्रक्रिया है।
7. शुल्क जमा हेतु Internet Banking / Debit Cards & Credit Card, Options are available, उपलब्ध है।
अतिरिक्त शुल्क जमा होने पर/पंजीयन राशि(सुरक्षा निधि राशि) की वापसी रिफण्ड जमाकर्ता खाते में ही वापस किया जा सकेगा। किसी अन्य खाते में स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।
8. प्रथम काउंसिलिंग में आवंटित अभ्यर्थियों को संवीक्षा कराना एवं पात्र होना आवश्यक है तथा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा अन्यथा अपात्र हो जायेंगे (देखें : छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) स्नातक प्रवेश नियम-2018 के नियम 7(x))।
10. यदि शासकीय/निजी/अप्रवासी भारतीय नियतांश (NRI) सीट में द्वितीय काउंसिलिंग में आवंटन होता है, तथा आवेदक द्वारा प्रवेश नहीं लिया जाता है तो, जमा की गई पंजीयन शुल्क (सुरक्षा निधि राशि) राजसात (Forfeit) हो जायेगी।


अध्यक्ष,
काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा


संचालक चिकित्सा शिक्षा
छत्तीसगढ़

Chhattisgarh State Quota

Tentative Schedule for Online Counselling (Allotment Process) for NEET-UG (MBBS/BDS) Year 2023

S. No.	Registration and payment	Choice filling and Locking	Process of seat allotment	Result publish	Scrutiny Process	Admission Process
Round -1						
1	25/07/2023 from 01:00 PM to 01/08/2023 up to 11:59 PM*	25/07/2023 from 01:00 PM to 01/08/2023 up to 11:59 PM*	04/08/2023 to 05/08/2023	06/08/2023	07/08/2023 to 16/08/2023 5:00 PM	07/08/2023 to 17/08/2023 5:00 PM
	(08-days)		(02-days)	(01-days)	(10-days)	(11-days)
Round -2						
2	No New Registration in Round 2	26/08/2023 from 9:00 AM to 31/08/2023 up to 11:59 PM *	01/09/2023 to 02/09/2023	03/09/2023	04/09/2023 to 09/09/2023 5:00 PM	04/09/2023 to 10/09/2023 5:00 PM
		(05-days)	(02-days)	(01-days)	(06-days)	(07-days)
Mop-up Round						
3	No New Registration in Mop-Up Round	17/09/2023 from 9:00 AM to 21/09/2023 up to 11:59 PM *	22/09/2023 to 23/09/2023	24/09/2023	24/09/2023 to 27/09/2023 5:00 PM	24/09/2023 to 28/09/2023 5:00 PM
		(5-days)	(02-days)	(01-days)	(04-days)	(05-days)







Chhattisgarh State Quota

Tentative Schedule for Online Counselling (Allotment Process) for NEET-UG (MBBS/BDS) Year 2023

S. No.	Registration and payment	Choice filling and Locking	Process of seat allotment	Result publish	Scrutiny Process	Admission Process
Stray Vacancy Round						
4			29/09/2023	-	29/09/2023 to 30/09/2023 3:00 PM	29/09/2023 to 30/09/2023 5:00 PM
			(01-days)		(02-days)	(02-days)

* Only as per server time.

Note: The Schedule might be revised based on AIQ Schedule, Court Orders etc.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 189]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 21, 2018/ वैशाख 31, 1940

No. 189]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 21, 2018/VAISAKHA 31, 1940

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2018

सं.भा.आ.प.-34(41)/2018-मेड./109835.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् “स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997” में पुनः संशोधन करने के लिए, केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः-

1. (i) इन विनियमों को “स्नातक चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2018” कहा जाएगा।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. “स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997” में 5क (3) के पश्चात निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा:-

“5 क (4) – एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए सामूहिक काउंसिलिंग में सीट ब्लॉकिंग रोकने और काउंसिलिंग के दौरान नया विकल्प चुनने की अनुमेयता की दृष्टि से, शुल्क की जब्ती, “परिशिष्ट - च” में दिए गए मापदंडों के अनुसार होगी।”

3. “स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997” के, परिशिष्ट - च में, शैक्षिक वर्ष 2018-19 के लिए और उसके पश्चात, प्रथम एमबीबीएस पाठ्यक्रम हेतु दाखिला प्रक्रिया की पूर्णता की समय अनुसूची के नीचे निम्नलिखित “टिप्पणी” जोड़ी जाएगी:-

टिप्पणी:

1. वर्तमान दाखिला वर्ष के कार्य आरंभ की अंतिम तारीख अर्थात् 22 जुलाई के पश्चात खाली रही अखिल भारतीय कोटा सीटें (15%), राज्य कोटे में परिवर्तित मानी जाएंगी।

2. 31 मई के पश्चात अनुमति प्राप्त संस्थान/कालेज/पाठ्यक्रमों पर, चालू शैक्षिक वर्ष के लिए दाखिले/सीटों के आबंटन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।
3. किसी भी परिस्थिति में, दाखिले/कार्य आरंभ की अंतिम तारीख, 31 अगस्त के पश्चात नहीं बढ़ाई जाएगी।
4. उपर्युक्त समय अनूसूची का निष्ठापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य के लिए, शनिवार, रविवार या अवकाशों, (15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के कारण राष्ट्रीय अवकाश को छोड़कर) को कार्य दिवस माना जाएगा।
5. काउंसिलिंग के दौरान नया विकल्प चुनने के लिए छात्रों को अनुमेयता के संबंध में निम्नलिखित मापदंड लागू होंगे:-

क्रम.सं.	चक्र	निःशुल्क निर्गमन	शुल्क की जब्ती के साथ निर्गमन	आगे परामर्श के लिए अयोग्य	पंजीकरण शुल्क की धनराशि
1	ए.आई.क्यू. II/ मानित	✓			
2.	ए.आई.क्यू. II/मानित		यदि कार्य आरंभ नहीं किया	यदि कार्य आरंभ कर दिया	सरकारी-10,000/- रु. (अ.जा./अ.ज. जा./अ.पि.व. के लिए आधी) मानित 2,00,000/- रुपये
3.	राज्य कोटा I	✓			
4.	राज्य कोटा II		यदि कार्य आरंभ नहीं किया	यदि कार्य आरंभ कर दिया	सरकारी-10,000/- रु. (अ.जा./अ.ज. जा./अ.पि.व. के लिए आधी) प्राइवेट 1,00,000/- रुपये
5.	राज्य कोटा मोप-अप			यदि कार्य आरंभ कर दिया	
6.	मानित मोप-अप			यदि कार्य आरंभ कर दिया	

6. भा. आ.प. विनियमों के अनुसार, डीजीएचएस काउंसिलिंग में अखिल भारतीय कोटा सीटें केन्द्रीय संस्थानों और मानित विश्वविद्यालय शामिल होंगे। राज्य/संघशासित क्षेत्र काउंसिलिंग में राज्य कोटा सीटें और राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के सभी निजी कालेज शामिल होंगे।

डॉ. रीना नय्यर, सचिव (प्रभारी)

[विज्ञापन-III/4/असा./66/18-19]

पाद टिप्पणी: प्रधान विनियमावली नामतः “स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997” दिनांक 4 मार्च, 1997 को भारत के राजपत्र के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 29.05.1999, 02.07.2002, 30.09.2003, 16.10.2003, 01.03.2004, 20.10.2008, 15.12.2008, 22.12.2008, 25.03.2009, 19.04.2010, 07.10.2010, 21.12.2010, 15.02.2012, 29.12.2015, 05.08.2016, 21.09.2016, 10.03.2017, 04.07.2017, 23.01.2018 और 06.02.2018 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2018

No.MCI-34(41)/2018-Med./109835.— In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government,

hereby makes the following Regulations to further amend the “Regulations on Graduate Medical Education, 1997”, namely: -

1. (i) These Regulations may be called the “Regulations on Graduate Medical Education (Amendment), 2018.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the “Regulations on Graduate Medical Education, 1997”, following clause shall be added after 5A(3):-

5A(4) – In order to prevent seat blocking in common counseling for admission to MBBS course and permissibility to exercise fresh choice during counseling, forfeiture of fee shall be in accordance with the Matrix contained in “Appendix – F”.

3. In the “Regulations on Graduate Medical Education, 1997”, in Appendix ‘F’ the following “Note” **shall be added below the** Time Schedule for completion of the admission process for first MBBS course for the academic year 2018-19 and onwards: -

Note:

1. All India Quota Seats (15%) remaining vacant after last date for joining, i.e. 22nd July of the present Admission year will be deemed to be converted into State quota.
2. Institute/college/courses permitted after 31st May will not be considered for admission/ allotment of seats for current academic year.
3. In any circumstances, last date for admission/joining will not be extended after 31st August.
4. For the purpose of ensuring faithful obedience to the above time-schedule, Saturday, Sunday or Holidays (except National Holiday on account of Independence Day, 15th August) shall be treated as working days.

5. The following Matrix shall be applicable with regard to permissibility to students to exercise fresh choice during counseling:-

S.No.	Round	Free Exit	Exit with forfeiture of fees	Ineligible for further counseling	Amount of registration fee
1.	AIQ I/Deemed	✓			
2.	AIQ II/ Deemed		If not Joined	If joined	Government - Rs. 10,000 (half for SC/ST/OBC) Deemed - Rs. 2,00,000
3.	State Quota I	✓			
4.	State Quota II		If not joined	If joined	Government - Rs. 10,000 (half for SC/ST/OBC) Private - Rs. 1,00,000
5.	State Quota Mop-up			If joined	
6.	Deemed Mop-Up			If joined	

6. As per MCI regulations, DGHS counseling would include AIQ seats, Central Institutions and Deemed Universities. State/UT counseling would include State Quota seats and all private colleges in the States/UTs.

DR. REENA NAYYAR, Secy. (I/c)

[ADVT-III/4/Exty./66/18-19]

Foot Note: The Principal Regulations namely, “Regulations on Graduate Medical Education, 1997” were published in Part – III, Section (4) of the Gazette of India vide Medical Council of India notification dated 4th March, 1997, and amended vide MCI notifications dated 29/05/1999, 02/07/2002, 30/09/2003, 16/10/2003, 01/03/2004, 20/10/2008, 15/12/2008, 22/12/2008, 25/03/2009, 19/04/2010, 07/10/2010, 21/12/2010, 15/02/2012, 29/12/2015, 05/08/2016, 21/09/2016, 10/03/2017, 04/07/2017, 23/01/2018 & 06/02/2018.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 179]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 मई 2018 — ज्येष्ठ 4, शक 1940

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 25 मई 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 21-02/2018/नौ/55-4. — राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) महाविद्यालयों की राज्य कोटे की स्नातक पाठ्यक्रमों के समस्त सीटों एवं निजी चिकित्सा, निजी दंत चिकित्सा तथा निजी भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) महाविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों के शासकीय नियतांश, प्रबंधन नियतांश एवं अप्रवासी भारतीय नियतांश (एन.आर.आई.) की सीटों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है नियम बनाती है :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :-

- (1) ये नियम छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) स्नातक प्रवेश नियम-2018 कहलायेंगे।
- (2) यह नियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।
- (3) राज्य के शासकीय चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) महाविद्यालयों की राज्य कोटे की स्नातक पाठ्यक्रमों के समस्त सीटों एवं निजी चिकित्सा, निजी दंत चिकित्सा तथा निजी भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) महाविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों के शासकीय नियतांश एवं प्रबंधन नियतांश एवं अप्रवासी भारतीय नियतांश (एन.आर.आई.) की सीटों में प्रवेश, इन नियमों के आधार पर दिया जाएगा।

2. परिभाषायें :- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो -

- (क) “प्रवेश परीक्षा” से अभिप्रेत है राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET)/केन्द्र शासन से अधिकृत परीक्षा एजेंसी द्वारा प्रवेश परीक्षा;
- (ख) “एजेंसी” से अभिप्रेत है, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त परीक्षा एजेंसी;

(ग) "वास्तविक निवासी" से अभिप्रेत है, ऐसा अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य का वास्तविक निवासी हो (प्रारूप-अनुसूची-एक);

(घ) "श्रेणी" से अभिप्रेत है, इन चारों श्रेणियों में से कोई एक, अर्थात् - "अनुसूचित जाति", "अनुसूचित जनजाति", "अन्य पिछड़ा वर्ग" (गैर क्रीमीलेयर) तथा "अनारक्षित";

(ङ.) "संवर्ग" से अभिप्रेत है, महिला, सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दिव्यांगजन;

(च) "सैनिक" संवर्ग से अभिप्रेत है, प्रतिरक्षा कार्मिकों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत प्रतिरक्षा कार्मिक तथा ऐसे प्रतिरक्षा कार्मिक जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से विकलांग हो गए हों और जो छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी हों अथवा वर्तमान में (परीक्षा के वर्ष की 01 जनवरी को या उसके पूर्व की तिथि से) छत्तीसगढ़ में पदस्थ हो, के पुत्र/पुत्री (प्रमाणीकरण का प्रारूप-अनुसूची-दो);

(छ) "स्वतंत्रता संग्राम सेनानी" संवर्ग से अभिप्रेत है ऐसे अभ्यर्थी जिनके दादा-दादी अथवा नाना-नानी का नाम छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के कलेक्टरेट में रखी गई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची में सम्मिलित है (प्रमाणीकरण का प्रारूप-अनुसूची-तीन);

(ज) "दिव्यांगजन" संवर्ग से अभिप्रेत है, ऐसा स्थायी दिव्यांगजन जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का 49) की धारा 2 का (r), (s) एवं (t) के अधीन परिभाषित शारीरिक रूप से निःशक्त की श्रेणी में आता हो, किन्तु जो भारतीय चिकित्सा परिषद/भारतीय दंत चिकित्सा परिषद द्वारा एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. में प्रवेश के लिए अयोग्य नहीं माना गया हो (योग्यता हेतु प्रमाणीकरण - अनुसूची -चार);

(झ) "बिना संवर्ग (No Class)" से अभिप्रेत है, वे व्यक्ति जो खण्ड 2 (ङ) में उल्लेखित किसी भी संवर्ग के अंतर्गत नहीं आते हों;

(ञ) "परिषद" से अभिप्रेत है, एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम हेतु भारतीय चिकित्सा परिषद एवं बी.डी.एस. पाठ्यक्रम हेतु भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद;

(ट) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ में स्थित शासकीय एवं निजी चिकित्सा/दन्त चिकित्सा/भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) महाविद्यालय

(ठ) "संचालक" से अभिप्रेत है, संचालक चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़

(ण) "संचालनालय" से अभिप्रेत है, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़

(प) "अल्पसंख्यक महाविद्यालय" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत धार्मिक अथवा भाषायी अल्पसंख्यकों द्वारा राज्य में स्थापित महाविद्यालय जो ऐसे नियमों के अधीन मान्यता प्राप्त अथवा अधिसूचित हो जो कि राज्य शासन द्वारा विहित किए जायेंगे।

- (फ) "राज्य शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;
- (ब) "अंतिम प्रवेश प्रक्रिया" से अभिप्रेत है अंतिम चरण की काउंसिलिंग उपरांत प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात रिक्त रह गई सीटों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सत्र हेतु प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि को अथवा उसके पूर्व की तिथि में गई प्रक्रिया जिसमें अभ्यर्थी को आबंटन स्थल पर ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
- (भ) "शासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय" से अभिप्रेत है, ऐसा निजी चिकित्सा अथवा दंत चिकित्सा अथवा भौतिक चिकित्सा महाविद्यालय जिसने चल सम्पत्ति, अचल सम्पत्ति, शासकीय अस्पताल अथवा किसी अन्य शासकीय सम्पत्ति के उपयोग का अधिकार अथवा आर्थिक सहायता के रूप में राज्य शासन से कोई भी सहायता प्राप्त की हो;
- (म) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ में स्थित पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़;
- (य) "दस्तावेज" से अभिप्रेत है, मूल दस्तावेज
- (र) "शासकीय नियतांश" से अभिप्रेत है, निजी चिकित्सा महाविद्यालय, निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं निजी फिजियोथेरेपी महाविद्यालय की सीटों का 50 प्रतिशत (एन.आर.आई.सीटों को छोड़कर शेष सीटों का) शासकीय नियतांश होगा।
- (व) "प्रबंधन नियतांश" से अभिप्रेत है, निजी चिकित्सा महाविद्यालय, निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं निजी फिजियोथेरेपी महाविद्यालय की सीटों का 50 प्रतिशत (एन.आर.आई.सीटों को छोड़कर शेष सीटों का) प्रबंधन नियतांश होगा।
- (स) "अप्रवासी भारतीय (एन.आर.आई.)" से अभिप्रेत है, कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी विधियों/नियमों/अधिसूचनाओं/आदेशों में परिभाषित/घोषित किया गया है।
- (द) "अप्रवासी भारतीय (एन.आर.आई.) नियतांश" से अभिप्रेत है, कि निजी चिकित्सा महाविद्यालय, निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं निजी फिजियोथेरेपी महाविद्यालय की सीटों का 15 प्रतिशत अप्रवासी भारतीय (एन.आर.आई.) नियतांश होगा।

सामान्य :-

6. स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम/प्रवेश परीक्षा, आबंटन, प्रवेश, विश्वविद्यालय, भारत सरकार/राज्य सरकार/महाविद्यालय की स्वायत्त सोसायटी के तत्समय लागू नियमों एवं विनियमों द्वारा शासित एवं विनियमित होंगे।

7. स्नातक पाठ्यक्रम, प्रवेश की तिथि से विश्वविद्यालय/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित पूर्णकालिक अवधि के पाठ्यक्रम होंगे। सम्पूर्ण अध्ययन अवधि के दौरान विद्यार्थियों को अशकालिक निजी प्रैक्टिस अथवा अन्य कोई जॉब करने की अनुमति नहीं होगी।
8. अभ्यर्थियों को यथा आवश्यक सही जानकारी देना एवं प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि आवेदन प्रपत्र भरने से पूर्व वे नियमों को अच्छी तरह से पढ़ लें और पूर्ण एवं सही आवश्यक जानकारी भरे और यथा आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न करें, ऐसे करने में विफल होने पर, आवेदक, प्रवेश परीक्षा, आबंटन एवं प्रवेश आदि के हकदार नहीं होंगे।
9. प्रत्येक अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के नियमों और विनियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा तथा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
10. शासन द्वारा समय-समय पर संबंधित महाविद्यालयों के लिए जारी किए गए सभी निर्देश लागू होंगे।

3. पात्रता :-

(अ) शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, निजी चिकित्सा महाविद्यालय तथा निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय के शासकीय नियतांश की सीटों के लिए पात्रता :-

केवल उसी अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु पात्रता होगी जो भारत का नागरिक हो, छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी हो और जिसने परीक्षा वर्ष के 31 दिसम्बर को न्यूनतम 17 वर्ष की आयु पूर्ण करता हो तथा अधिकतम आयु 25 वर्ष (केन्द्र शासन द्वारा निर्धारित आयु लागू होगी)।

तथा

जिसने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की बारहवीं कक्षा की परीक्षा या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त अन्य राज्यों के माध्यमिक शिक्षा मण्डलों की समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान/जैव-प्रौद्योगिकी विषयों में उत्तीर्ण की हो तथा विषय भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान/जैव-प्रौद्योगिकी में अनारक्षित श्रेणी में कुल अंक न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा आरक्षित श्रेणी में कुल अंक न्यूनतम 40 प्रतिशत अर्जित किए हों

तथा

चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु जिसने प्रवेश परीक्षा (NEET) नियम 02 (क) (ख) के अनुरूप में अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 50 प्रतिशतमक (Percentile), आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशतमक (Percentile) तथा अनारक्षित श्रेणी के दिव्यांगजन संवर्ग के अभ्यर्थी

के लिये 45 प्रतिशतमक (Percentile) अंक अर्जित किये हों अथवा NEET प्रवेश परीक्षा द्वारा निर्धारित श्रेणीवार न्यूनतम अर्हता अंक, जो भी न्यूनतम होगा वह मान्य किया जायेगा। (भौतिक चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु कोई न्यूनतम अर्हताकारी अंक नहीं होंगे) यदि NEET के समस्त श्रेणी/किसी श्रेणी में प्रतिशतमक (Percentile) में केन्द्र शासन द्वारा कमी की जाती है तो वह मान्य होगी।

- (ब) निजी चिकित्सा महाविद्यालय के प्रबंधन नियतांश की सीटों के लिए पात्रता :- प्रथमतः नियम 03 (अ) के अनुसार सभी श्रेणी के अभ्यर्थी पात्र होंगे तथा छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थी पात्र होंगे। जो कि नियम 03 (अ) राज्य के मूल निवासी के अतिरिक्त अन्य सभी योग्यता पूर्ण करते हो। किन्तु राज्य के बाहर के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को अर्हताकारी प्रतिशतमक (Percentile) तथा आरक्षित श्रेणी के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा एवं परस्पर समान प्रावीण्यता क्रमानुसार (Common Merit List) ही आबंटन प्राप्त कर सकेंगे।
- (स) निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय के अप्रवासी भारतीय (NRI) नियतांश की सीटों के लिए पात्रता :- शासन के प्रचलित नियमानुसार लागू होगा तथा नियम 3 (अ) पात्रता के मूल निवासी के अतिरिक्त अन्य सभी योग्यता पूर्ण करता हो। नियमानुसार अप्रवासी भारतीय (NRI) सीटों के रिक्त रहने पर प्रबंधन नियतांश की सीटों में परिवर्तित किया जा सकेगा।

4. अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान :- अल्पसंख्यक महाविद्यालय प्रवेश हेतु अतिरिक्त अन्य अर्हतायें भी निर्धारित कर सकेंगे परंतु उन्हें ऐसी अर्हताओं के संबंध में परीक्षा वर्ष के 15 मार्च तक इस संबंध में संचालक को लिखित सूचना देनी होगी जिससे कि उन्हें प्रवेश विवरणिका में सम्मिलित किया जा सके।

5. सीटों का आरक्षण :-

- (1) प्रत्येक शासकीय महाविद्यालय एवं निजी महाविद्यालय में संस्थावार प्रत्येक संस्था की सीटों में अनुसूचित जनजाति के लिये 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिये 12 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिये 14 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी, इस आरक्षण के लाभ हेतु अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (2) सभी श्रेणियों में सैनिक संवर्ग के लिए 3 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग हेतु 3 प्रतिशत, दिव्यांगजन संवर्ग हेतु 5 प्रतिशत एवं महिला संवर्ग हेतु 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण होगा।

दिव्यांगजन संवर्ग हेतु आरक्षित सीटों को निम्नानुसार भरा जायेगा। (भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ग्रेजुएट मेडिकल रेगुलेशन 1997 स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली 2017 संशोधन अधिसूचना नई दिल्ली 22 जनवरी 2018 के बिन्दु क्र. 6 के अनुसार अध्याय II में खण्ड 4 (3) के संशोधन अनुसार) :-

- (अ) सबसे पहले सीटों को 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक के बीच निचले अंगों की स्थाई लोकोमोटर अशक्तता वाले अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। उपरोक्तानुसार पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में इस प्रकार नहीं भरे गये सीटों को 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की निचले अंगों की स्थाई लोकोमोटर अशक्तता वाले अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।
- (ब) भारतीय चिकित्सा परिषद (एम.सी.आई.) के प्रतिमानकों के अनुसार निम्नलिखित अशक्ततायें (दिव्यांगजन) पात्र नहीं हैं-

- (i) ऊपरी अंग दिव्यांगजन;
- (ii) दृष्टिबाधित दिव्यांगजन;
- (iii) बधिरीय दिव्यांगजन;
- (iv) निचले अंग की 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगजन;
- (v) काउंसिलिंग के समय 3 माह से अधिक पुराना पात्रता प्रमाण पत्र।

- (3) सभी श्रेणियों में सैनिक संवर्ग 3 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग 3 प्रतिशत, दिव्यांगजन संवर्ग हेतु 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध है इन संवर्ग में आवेदित अभ्यर्थी उक्त संवर्ग में पात्र होने पर संबंधित संवर्ग की सीटों का आबंटन प्राप्त कर सकेंगे तथा यदि संवर्ग की सीटे समाप्त हो जाती है तो संवर्ग के पात्र अभ्यर्थी ही अपनी श्रेणी के प्रावीण्य सूची की प्राविण्यतानुसार आबंटन के पात्र होंगे। किन्तु यदि संवर्ग में आवेदन के उपरान्त संवीक्षा में अपात्र पाये जाते हैं तो वे प्रावीण्य सूची से बाहर हो जाते हैं, अर्थात् काउंसिलिंग हेतु अपात्र हो जाते हैं।

6. चयन प्रक्रिया :-

- (क) राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) / अधिकृत एजेंसी की प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन :-
- (1) प्रवेश परीक्षा हेतु एजेंसी द्वारा निर्धारित तिथि अनुसार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।
 - (2) NEET ऑनलाइन आवेदन के समय प्रविष्ट की हुई प्रविष्टियाँ या अन्य कोई भी जानकारी जो कि यथावत राज्य ऑनलाईन आवेदन में उपयोग की जाती है जैसे आवेदक का नाम, पिता का नाम इत्यादि में परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा राज्य ऑनलाईन आवेदन की प्रविष्टियाँ अंतिम तिथि उपरान्त परिवर्तनीय नहीं होगी।

(ख) परीक्षा परिणाम : एजेंसी सभी अभ्यर्थियों की श्रेणीवार प्रावीण्य सूची, और अंक सूची घोषित करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रावीण्य सूची में से पात्र अभ्यर्थियों की सूची एजेंसी द्वारा संचालनालय चिकित्सा शिक्षा को प्रेषित की जायेगी।

प्रावीण्य सूची में नियम 3 और नियम 4 के अनुसार पात्र अभ्यर्थी ही सम्मिलित किये जायेंगे। राज्य कोटे में उपलब्ध सीटों पर प्रावीण्य सूची के अनुक्रम अनुसार नियम 7 के अनुरूप काउंसिलिंग के द्वारा पात्र अभ्यर्थी को महाविद्यालय व पाठ्यक्रम का आबंटन किया जायेगा।

7. काउंसिलिंग प्रक्रिया – राज्य के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की सीटे, निजी चिकित्सा महाविद्यालय के शासकीय नियतांश की सीटे एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालय प्रबंधन नियतांश एवं अप्रवासी भारतीय नियतांश की सीटे/राज्य के शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय की सीटे, निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय के शासकीय नियतांश की सीटे एवं निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय प्रबंधन नियतांश एवं अप्रवासी भारतीय नियतांश की सीटे/राज्य के शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालय की सीटे, निजी फिजियोथेरेपी महाविद्यालय के शासकीय नियतांश की सीटे एवं निजी फिजियोथेरेपी महाविद्यालय प्रबंधन नियतांश एवं अप्रवासी भारतीय नियतांश की सीटे के स्नातक पाठ्यक्रमों की उपलब्ध सीटों में प्रवेश के लिये नियम-6 के अनुसार तैयार की गई प्रावीण्य सूची के आधार पर नियम-3 (अप्रवासी भारतीय हेतु लागू नियम 13 सहित) के अनुसार पात्र संचालनालय द्वारा निम्नानुसार ऑनलाइन काउंसिलिंग की जायेगी –

(i) उपरोक्त उल्लेखित अनुसार प्रावीण्य सूची घोषित होने के बाद, ऑनलाईन आवेदन छत्तीसगढ़ राज्य की सीटों हेतु आमंत्रित किये जायेंगे। ऑनलाईन आवेदन के समय प्रविष्ट की हुई पात्रता या अन्य कोई भी जानकारी जैसे : मूल निवासी, श्रेणी, संवर्ग, सीटों का प्रकार, महाविद्यालय चयन (option) इत्यादि अपरिवर्तनीय होंगे। अतः विशेषकर अपनी श्रेणी, संवर्ग चयन करने के पूर्व अपने वांछित प्रारूप में वांछित समयावधि के प्रमाण पत्र का निरीक्षण अवश्य कर लें।

संचालनालय द्वारा दो चरणों में ऑनलाईन काउंसिलिंग/ऑफलाईन काउंसिलिंग की जायेगी, जिसकी समय-सारणी संचालनालय की वेबसाइट पर तत्समय प्रकाशित (घोषित) की जायेगी;

(ii) आनलाईन काउंसिलिंग में पंजीयन, प्राथमिकता क्रम का निर्धारण, आबंटन, मूल दस्तावेजों की संवीक्षा व आबंटित सीटों में प्रवेश की प्रक्रिया सम्मिलित होंगी। अभ्यर्थी को काउंसिलिंग हेतु पंजीयन के समय वांछित सभी मूल दस्तावेज की स्कैन की हुई प्रतियाँ ऑनलाइन काउंसिलिंग पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

(iii) ऑनलाइन काउंसिलिंग में पंजीयन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक उपरोक्तानुसार उल्लेखित मूल दस्तावेज अपलोड नहीं किये जाने पर अभ्यर्थी काउंसिलिंग प्रक्रिया हेतु अपात्र होगा। पंजीयन की अंतिम तिथि के पश्चात जारी किये हुए मूल दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। उक्त तिथि तक प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपलोड किये जाने का दायित्व पूर्ण रूपेण अभ्यर्थी का होगा।

- (iv) ऑनलाइन काउंसिलिंग शुल्क के रूप में अनारक्षित श्रेणी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी हेतु राशि रुपये 1000/- (रु. एक हजार मात्र) तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति हेतु रुपये 500/- (रु. पांच सौ मात्र) तथा अप्रवासी भारतीय नियतांश हेतु रुपये 10000/- (रु. दस हजार मात्र) संचालक चिकित्सा शिक्षा को देय होगी।

यदि राज्य के ऑनलाईन आवेदन में कोई त्रुटि हो जाती है तो ऑनलाईन पंजीयन की अंतिम तिथि के पूर्व संशोधन शुल्क रु. 1000/- जमा कर संशोधन कर सकेंगे।

- (v) ऑनलाइन आवेदन एवं पंजीयन की प्रक्रिया मात्र प्रथम काउंसिलिंग के पूर्व उपलब्ध होगी। प्रवेश के इच्छुक सभी पात्र अभ्यर्थियों को इस आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर, पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। यदि इन पंजीकृत आवेदकों के काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने के उपरान्त भी यदि सीटे रिक्त रह जाती है, तो संचालक के निर्णयानुसार नया पंजीयन कराया जा सकेगा।
- (vi) ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर, काउंसिलिंग हेतु पंजीयन करने की अंतिम तिथि तक जो आवेदक पंजीयन कराने में असफल होंगे, वे काउंसिलिंग हेतु स्वयमेव अपात्र हो जायेंगे।
- (vii) वेबसाइट पर जारी काउंसिलिंग की समय सारणी के अनुरूप, अभ्यर्थी को विकल्प भरकर देना होगा। अभ्यर्थी उपलब्ध समस्त महाविद्यालयों एवं पाठ्यक्रमों का विकल्प क्रमानुसार देने हेतु समर्थ होंगे। नोट :- अभ्यर्थी केवल एक विकल्प न भरे अपनी इच्छानुसार एकाधिक विकल्प डाले क्योंकि नये विकल्प भरने का अतिरिक्त अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।
- (viii) एक बार अंतिमीकरण हो जाने पर प्राथमिकता क्रम में, परिवर्तन नहीं किया जायेगा, परंतु यदि काउंसिलिंग प्रक्रिया के प्रारंभ होने पूर्व घोषित संस्था के अतिरिक्त अन्य नई संस्था महाविद्यालय जो कि पूर्व में प्रदर्शित नहीं था, उपलब्ध होता है तो, प्राथमिकता क्रम में परिवर्तन हेतु अवसर प्रदान किया जायेंगा। इस हेतु पूर्व पंजीकृत अभ्यर्थियों को ही प्राथमिकता क्रम में परिवर्तन करने की पात्रता होगी। नये आवेदन और पंजीयन नहीं किया जायेगा।
- (ix) प्रावीण्य सूची के अनुसार पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय का आबंटन किया जायेगा जो संचालनालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित होगा। जिसके अनुसार निर्धारित समयवधि में संवीक्षा एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस हेतु अभ्यर्थी नियमित रूप से वेबसाइट अवलोकन करें। इस प्रक्रिया में जानकारी लेने में असफल होने की पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
- (x) आबंटन होने के पश्चात, अभ्यर्थियों को आबंटित संस्था में आबंटन पत्र में उल्लेखित प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि तक स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेजों की संवीक्षा कराना अनिवार्य होगा। आबंटन पश्चात संस्था में संवीक्षा हेतु उपस्थित न होने की स्थिति में अभ्यर्थी चालू शैक्षणिक सत्र में काउंसिलिंग व प्रवेश प्रक्रिया से स्वयमेव बाहर हो जायेगा।

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, किन्तु निजी चिकित्सा महाविद्यालय/शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय/निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश लेना अनिवार्य नहीं होगा किन्तु, सभी आबंटित अभ्यर्थियों को संवीक्षा करवाना तथा संवीक्षा में पात्र होना अनिवार्य है। तथापि आबंटित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश न लेने वाले अभ्यर्थी काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे। दस्तावेजों की संवीक्षा में अर्ह होने पर अभ्यर्थी आबंटित शासकीय चिकित्सा संस्था में प्रवेश लेकर काउंसिलिंग प्रक्रिया में बने रहने का विकल्प दे सकेंगे। जबकि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के अतिरिक्त आबंटित महाविद्यालय तथा संवीक्षा में पात्र अभ्यर्थी बिना संस्था प्रवेश लिए द्वितीय काउंसिलिंग में बने रहने का विकल्प दे सकेंगे।

काउंसिलिंग या आबंटन प्रक्रिया की किसी भी चरण में समान विषय एवं समान संस्था की सीट अभ्यर्थी को एक बार आबंटन होने के पश्चात् पुनः दोबारा समान विषय एवं समान संस्था की सीट आबंटित नहीं की जायेगी।

- (xi) वे अभ्यर्थी जो प्रवेश लेने के विकल्प का चयन करते हैं उन्हें वेबसाइट से आबंटन पत्र का प्रिंट आउट लेकर जारी समय सारणी अनुरूप आबंटित महाविद्यालय में अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराना होगा। प्रवेश उपरान्त अभ्यर्थी के पास काउंसिलिंग प्रक्रिया में बने रहने अथवा अपना प्रवेश स्थायी कर काउंसिलिंग के समस्त आगामी चरणों से बाहर जाने के विकल्प पोर्टल पर चयन कर सकेंगे;
- (xii) (एक) महाविद्यालय के द्वारा, अभ्यर्थी के प्रस्तुत होने पर दस्तावेजों की संवीक्षा कराया जायेगा तथा अभ्यर्थी स्वयं निर्धारित चिकित्सकीय परीक्षण शुल्क जमा कर चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा गठित समिति अथवा जिला चिकित्सा बोर्ड से पाठ्यक्रम हेतु चिकित्सकीय परीक्षण में पात्र (Fit) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (दो) दस्तावेजों की संवीक्षा और चिकित्सकीय परीक्षण में अर्ह होने पर ही अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा;
- (तीन) यदि उल्लेखित उपरोक्त प्रक्रिया में विफल अर्थात् अपात्र हो जाते हैं तो वे चालू शैक्षणिक सत्र के लिये, प्रवेश प्रक्रिया से अपात्र घोषित कर दिये जायेंगे;
- (चार) समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए, निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि की अवधि में अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा तथा एतद् द्वारा आबंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेना होगा।
- (पाँच) अपग्रेड हो कर महाविद्यालय/पाठ्यक्रम परिवर्तन होने की स्थिति में प्रथम

चरण काउंसिलिंग द्वारा आबंटित महाविद्यालयों के शिक्षण शुल्क के अंतर की राशि (कम/अधिक) यथा स्थिति क्रमशः अभ्यर्थी को सौंप दी जायेगी अथवा अभ्यर्थी से ली जायेगी। शासकीय संस्था हेतु शेष राशि पूर्व प्रवेशित संस्था द्वारा नवीन आबंटित संस्था को अंतरित कर दी जायेगी तथा नियमतः प्रोसेसिंग फीस शिक्षण शुल्क की 10 प्रतिशत राशि कटौती की जायेगी।

काउंसिलिंग प्रक्रिया में बने रहने का विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों को, प्रावीण्य सूची के अनुक्रम में, पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय का द्वितीय चरण में आबंटन किया जायेगा, तथा प्रथम चरण में काउंसिलिंग में आबंटन उपरान्त प्रवेशित छात्र जिन्होंने अपग्रेडेशन का विकल्प भरा हों केवल वे ही, द्वितीय काउंसिलिंग में अपग्रेडेशन प्राप्त कर सकेंगे एवं अपग्रेडेशन में आबंटित विषय एवं संस्था में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, क्योंकि अपग्रेडेशन प्रक्रिया में जिस आवेदक को अपग्रेड कर नया विषय और संस्था आबंटित की जाती है तत्क्षण ही उसकी प्रथम काउंसिलिंग की सीट रिक्त मानी जाती है तथा प्रावीण्यतानुसार अगले अभ्यर्थी को आबंटित कर दी जाती है, अतः पूर्व में प्रथम काउंसिलिंग में आबंटित विषय और संस्था में बने नहीं रह सकते हैं।

शासकीय/निजी संस्था में प्रवेशित अभ्यर्थी संस्था से द्वितीय काउंसिलिंग हेतु निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि पूर्व सीट का परित्याग करता है तो जमा की गई शुल्क में से आदेशिका शुल्क (प्रोसेसिंग फीस) के रूप में शिक्षण शुल्क का 10 प्रतिशत राशि काटकर शेष राशि अभ्यर्थी को लौटा दी जायेगी;

(छः) अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में प्रवेश के समय सभी मूल दस्तावेजों को जमा करना होगा;

- (xiii) द्वितीय चरण की काउंसिलिंग भी ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा की जायेगी। जिसमें प्रथम काउंसिलिंग आबंटन उपरान्त संवीक्षा करा पात्र अभ्यर्थी, प्रवेश न ले कर नियम 7 (X) को पालित करते हुए काउंसिलिंग प्रक्रिया में बने रहने का विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों को, प्रावीण्य सूची के अनुक्रम में, पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय का द्वितीय चरण में आबंटन किया जायेगा, तथा प्रथम चरण में काउंसिलिंग में आबंटन उपरान्त प्रवेशित छात्र जिन्होंने अपग्रेडेशन का विकल्प भरा हों केवल वे ही, द्वितीय काउंसिलिंग में अपग्रेडेशन प्राप्त कर सकेंगे तथा प्राविण्यतानुसार पूर्व से पंजीकृत अनाबंटित अभ्यर्थी भी द्वितीय काउंसिलिंग में पात्र होंगे;
- (xiv) प्रथम ऑनलाईन काउंसिलिंग में आबंटन उपरान्त संस्था में प्रवेशित छात्र केवल द्वितीय ऑनलाईन काउंसिलिंग में ही अपग्रेडेशन के पात्र रहेंगे।

द्वितीय काउंसिलिंग में आबंटन उपरान्त संस्था में प्रवेशित छात्र भविष्य में होने वाली काउंसिलिंग अथवा अंतिम आबंटन में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे तथा द्वितीय काउंसिलिंग में प्रवेशित अभ्यर्थी, संस्था में द्वितीय काउंसिलिंग आबंटन के पश्चात् निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि उपरान्त प्रवेश निरस्त करने हेतु उल्लेखित निर्धारित बॉण्ड की राशि का भुगतान करने की बाध्यता होगी।

- (xv) द्वितीय चरण के काउंसिलिंग द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि तक रिक्त रह गई सीटों के लिए अंतिम प्रवेश प्रक्रिया से प्रत्यक्ष काउंसिलिंग की जायेगी।

द्वितीय चरण काउंसिलिंग में एमबीबीएस पाठ्यक्रम/बीडीएस पाठ्यक्रम में आबंटन उपरान्त प्रवेशित छात्र द्वितीय काउंसिलिंग की निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि उपरान्त सीटों का परित्याग नहीं कर सकेंगे। उक्त निर्धारित तिथि उपरान्त सीटों का परित्याग करने पर अभ्यर्थी को बॉण्ड की राशि की क्षतिपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

- (xvi) अंतिम आबंटन प्रवेश प्रक्रिया प्रत्यक्ष (ऑफ-लाईन) होगी, जिसमें राज्य के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की सीटे, निजी चिकित्सा महाविद्यालय के शासकीय नियतांश की सीटे, निजी चिकित्सा महाविद्यालय प्रबंधन नियतांश एवं अप्रवासी भारतीय नियतांश की सीटे/राज्य के शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय की सीटे, निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय के शासकीय नियतांश की सीटे, निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय प्रबंधन नियतांश एवं अप्रवासी भारतीय नियतांश की रिक्त सीटें सम्मिलित की जाएगी। "अंतिम प्रवेश प्रक्रिया" में पूर्व से पंजीकृत अनाबंटित/अप्रवेशित/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी केवल चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश हेतु पात्र होंगे। (किन्तु जिन्हें पूर्व में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में सीटे आबंटित की गई किन्तु प्रवेश नहीं लिया वे अपात्र होंगे) शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय/निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश हेतु "अंतिम प्रवेश प्रक्रिया" में पूर्व से पंजीकृत अनाबंटित/अप्रवेशित अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। (किन्तु जिन्हें पूर्व में शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय में सीटे आबंटित की गई किन्तु प्रवेश नहीं लिया वे अपात्र होंगे) तथा समस्त निजी दंत महाविद्यालय का आबंटन दोबारा नहीं किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार पात्र अभ्यर्थी ही अंतिम आबंटन एवं प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे, इस प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा तथा अधिकार पत्र (Authority Letter) मान्य नहीं किया जायेगा।

अंतिम आबंटन में प्रवेशित छात्र सीटों का परित्याग नहीं कर सकेंगे तथा सीट का परित्याग करने हेतु उन्हें नियमानुसार लागू बॉण्ड की राशि जमा करना अनिवार्य होगा।

- (xvii) काउंसिलिंग या आबंटन प्रक्रिया की किसी भी चरण में समान विषय एवं समान संस्था की सीट अभ्यर्थी को एक बार आबंटन होने के पश्चात् पुनः दोबारा समान विषय एवं समान संस्था की सीट आबंटित नहीं की जायेगी।
- (xviii) संचालक द्वारा प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन कर अथवा संचालनालय के वेबसाइट पर सूचना के माध्यम से सफल/पात्र अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग हेतु उनके स्वयं के व्यय पर आमंत्रित किया जाएगा। सूचना प्राप्त नहीं होने पर, अभ्यर्थी स्वयं संचालक के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा सूचना या जानकारी न मिलने की स्थिति में संचालनालय जिम्मेदार नहीं होगा।

नोट : सभी पंजीकृत आवेदक काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान नियमित रूप से प्रतिदिन कार्यालय की वेबसाइट www.cgdme.co.in का अवलोकन करें, चूंकि अंतिम आबंटन प्रक्रिया हेतु सूचना एवं अंतिम आबंटन तिथि हेतु अल्पावधि का समय होता है।

- (xix) भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) पाठ्यक्रमों की स्नातक सीटों में प्रवेश हेतु समस्त चरणों हेतु आवश्यकतानुसार ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन (प्रत्यक्ष) काउंसिलिंग प्रक्रिया आयोजित की जायेगी।
- (xx) काउंसिलिंग एवं पात्रता संबंधी निर्देश पृथक से संचालक द्वारा विवरणिका के रूप में प्रकाशित किये जायेंगे, जो संचालनालय के वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी पात्रता के संबंध में तथा काउंसिलिंग प्रक्रिया के संबंध में विवरणिका भलि-भांति अवलोकन कर ही ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रक्रिया प्रारंभ करें, क्योंकि ऑनलाईन आवेदन के अंतिमिकरण उपरान्त कोई भी परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होगा।
- (xxi) (अ) काउंसिलिंग की संवीक्षा के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची :-

1. नीट परीक्षा प्रवेश पत्र
2. नीट परीक्षा अंक सूची
3. कक्षा 10वी की अंकसूची/जन्म प्रमाण पत्र (आयु हेतु)
4. कक्षा 12वी की अंकसूची
5. छत्तीसगढ़ राज्य वास्तविक निवासी प्रमाण पत्र
6. छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
7. अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु जाति प्रमाण पत्र सहित विगत तीन वर्षों का आय प्रमाण पत्र (जो कि शासकीय/केन्द्र शासन के कार्यालय का फार्म-16 अथवा तहसील कार्यालय से जारी किया गया हो)
8. संवर्ग सैनिक/दिव्यांगजन (विकलांग)/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हेतु परिशिष्ट अनुसार प्रमाण पत्र (नोट : विकलांग हेतु अवधि एवं जारी करने वाले कार्यालय परिशिष्ट अनुसार प्रस्तुत करना अनिवार्य है)
(यदि लागू हो तो)

(ब) संवीक्षा उपरान्त महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज सूची एवं शुल्क :-

1. आबंटन पत्र
2. शासकीय सेवा बंध पत्र (बॉण्ड) (केवल एमबीबीएस पाठ्यक्रम में लागू)
3. पाठ्यक्रम छोड़ने का बंध पत्र (ब्रेकेज बॉण्ड) (एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम में लागू)
4. मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट (देखे नियम क्र. 7 (xii) एक)
5. ट्रान्सफर सर्टिफिकेट/ट्रान्सफर सर्टिफिकेट मय चरित्र प्रमाण पत्र
6. चरित्र प्रमाण पत्र (स्कूल/महाविद्यालय/राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी)
7. माईग्रेसन सर्टिफिकेट (यदि अन्य विश्वविद्यालय का छात्र है तो शपथ पत्र सहित समय प्रदान किया जा सकेगा)
8. गेप सर्टिफिकेट (Gap Certificate) (यदि लागू हो तो)
9. आधार कार्ड/अन्य मान्य फोटो परिचय पत्र (जैसे : स्कूल अथवा महाविद्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र/ड्रायविंग लाईसेंस/पासपोर्ट)
10. पासपोर्ट साईज कलर अथवा ब्लैक एण्ड व्हाइट फोटो 04 प्रति, जो कि एक ही निगेटिव से बनी हो
11. शुल्क -
 - (i) शिक्षण शुल्क
 - (ii) नॉन-गवर्मेन्ट शुल्क,
 - (iii) निजी चिकित्सा महाविद्यालय हेतु एक वर्ष की शिक्षण शुल्क का बैंक गॉरण्टी

उपरोक्त सभी दस्तावेजों की स्वयं अभिप्रमाणित दो सेट फोटो कॉपी लाना आवश्यक है। अंतिम आबंटन प्रवेश प्रक्रिया में समान दिवस पर आबंटन एवं प्रवेश दिया जाता है तथा महाविद्यालय प्रवेश के समय अभ्यर्थी को, उपरोक्त (अ) एवं (ब) दोनों दस्तावेज एवं शुल्क प्रस्तुत करने पर ही पात्र होंगे तथा अंतिम आबंटन में (अ) एवं (ब) के दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद आबंटन पत्र जारी किया जाता है।

8. आरक्षित सीटों का अन्य आरक्षित श्रेणी/अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तन/अंतरण :-

- (1) किसी भी आरक्षित श्रेणी की शेष रह गई सीटों के लिये उस श्रेणी के अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की दशा में, उन सीटों को छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2012 (क्रं.9 सन् 2012) के प्रावधानों के अनुसार परिवर्तित/अंतरित किया जायेगा।
- (2) किसी भी श्रेणी के संवर्ग में पात्र अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की दशा में उक्त मूल श्रेणी के "बिना संवर्ग" में परिवर्तित किया जायेगा।
- (3) संवर्ग/श्रेणी परिवर्तन की प्रक्रिया में संवर्ग परिवर्तन पहले होगा फिर श्रेणी परिवर्तन होगा।

- (4) यदि आरक्षित श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो, रिक्त सीटों को उपरोक्त उपनियम अनुसार अन्य श्रेणियों में परिवर्तित किया जायेगा।

उदाहरण : मान लो, यदि अनुसूचित जनजाति श्रेणी की "सैनिक संवर्ग" की सीट रिक्त रह जाती है तो प्रथमतः उसके संवर्ग में परिवर्तन होगा और परिवर्तित हो कर, वह सीट "बिना संवर्ग" की सीट हो जायेगी, इस प्रकार वह सीट अनुसूचित जनजाति श्रेणी की "बिना संवर्ग" की सीट में परिवर्तित हो जायेगी। यदि अनुसूचित जनजाति श्रेणी "बिना संवर्ग" की सीट रिक्त रह जाती है तो, उसकी श्रेणी परिवर्तित किया जायेगा जिससे वह अनुसूचित जाति के "बिना संवर्ग" की सीट में परिवर्तित हो जायेगी। इससे स्पष्ट है कि किसी भी "संवर्ग" की सीट पहले "बिना संवर्ग" में परिवर्तित होगी उसके पश्चात् ही उसका श्रेणी परिवर्तन नियमतः होगा।

9. शासकीय नियतांश की सीटों का प्रबंधन नियतांश सीटों में परिवर्तन :- शासकीय नियतांश की सीटें यदि द्वितीय चरण की काउंसिलिंग के पश्चात् रिक्त रह जाती हैं तो उन्हें राज्य कोटे की द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात् प्रबंधन नियतांश की सीटों में परिवर्तित कर दिया जावेगा।

10. (अ) राज्य शासन के अधीन सेवा करने हेतु एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी हेतु बंधपत्र (बॉण्ड) -

- (1) शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र के लिए अनिवार्य होगा, कि स्नातक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद, शासन द्वारा अधिसूचित किए गए ग्रामीण क्षेत्रों में दो वर्षों की कालावधि तक चिकित्सा अधिकारी के रूप में शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र अथवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में जूनियर रजिस्ट्रार/प्रदर्शक/जूनियर रेसिडेंट के रूप में कार्य करेगा। अन्य पाठ्यक्रमों (बी.डी.एस., फिजियोथेरेपी बी.पी.टी.) हेतु यह अनिवार्यता नहीं होगी।
- (2) शासन के अधीन कार्य करने के लिए बंधपत्र (बॉण्ड) (प्रारूप-अनुसूची पांच) - प्रवेश के समय अभ्यर्थी को निर्धारित प्रपत्र में यह बंधपत्र प्रस्तुत करना होगा, कि वे नियम 10 (1) के प्रावधानों से सहमत हैं और यदि वे शासन के अधीन कार्य न करने के विकल्प का चयन करते हैं, तो वे नियम 10 (3) में यथा निर्धारित बंधपत्र राशि को जमा करेंगे। उसके द्वारा सम्पूर्ण देय राशि के जमा होने के बाद ही अभ्यर्थी को यथा निर्धारित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
- (3) बंधपत्र (बॉण्ड) की राशि - अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए बंधपत्र (बॉण्ड) की राशि रूपये 25,00,000/- (रु. पच्चीस लाख मात्र) एवं आरक्षित श्रेणी के छात्र के लिए बंधपत्र (बॉण्ड) की राशि रूपये 20,00,000/- (रु. बीस लाख मात्र) होगी।

- (4) इन नियमों के तहत एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद आरंभ में अस्थायी (अनंतिम) स्नातक डिग्री प्रदान की जाएगी। आरंभ में स्नातक योग्यता का केवल अस्थायी (अनंतिम) पंजीयन राज्य चिकित्सा परिषद् द्वारा राज्य मेडिकल पंजी (रजिस्टर) में किया जाएगा।
- (5) अंतिम वर्ष के परिणाम की घोषणा के एक माह के भीतर स्नातक पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले सभी अभ्यर्थियों की सूची आयुक्त को संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रेषित की जाएगी।
- (6) एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् छः माह की कालावधि के भीतर आयुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ऐसे स्नातक डॉक्टरों को नियुक्ति आदेश जारी करेंगे, ऐसा न करने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा भरा गया बॉण्ड स्वमेव निरस्त समझा जाएगा।
- (7) नियम 10 (1) के अनुसार सेवा अवधि शर्त पूरी करने के बाद अथवा नियम 10 (3) के अनुसार समस्त देय राशि जमा कर दिए जाने के बाद अथवा अभ्यर्थी से उक्त शेष अवधि की बैंक गारण्टी लेने के बाद, जैसी भी स्थिति हो (अभ्यर्थी द्वारा लिए गए विकल्प पर निर्भर) आयुक्त अभ्यर्थी को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा।
- (8) तत्पश्चात् अभ्यर्थी अपने महाविद्यालय के अधिष्ठाता को उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, जिनकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम डिग्री प्रदान की जाएगी।
- (9) राज्य मेडिकल काउंसिल रजिस्टर (पंजीयन) में स्नातक योग्यता का स्थायी पंजीयन अभ्यर्थी को प्रदाय अंतिम डिग्री के आधार पर ही किया जाएगा।
- (10) नियम 10 (1) का अनुपालन नहीं करने के लिए दण्ड – यदि कोई अभ्यर्थी शासन के अधीन सेवा करने का चयन करता है और नियम 10 (1) के अनुपालन न करने का दोषी पाया जाता है, तो नियम 10 (3) में यथा उल्लिखित बॉण्ड की सम्पूर्ण राशि की वसूली अभ्यर्थी से भू-राजस्व के बकाया के रूप में उपरोक्त उपनियम (6) के अनुसार नियुक्तकर्ता कार्यालय द्वारा कार्यवाही की जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी को नियम 10 (7) में यथा उल्लिखित अनापत्ति प्रमाण पत्र तब तक प्रदान नहीं किए जाएंगे, जब तक कि सम्पूर्ण देय राशि की वसूली नहीं हो जाती।

(ब) राज्य शासन के अधीन शासकीय/निजी बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों हेतु बंधपत्र (बॉण्ड) – छत्तीसगढ़ राज्य के दंत चिकित्सा महाविद्यालय/निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश हेतु नियमानुसार बीडीएस के अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु रु. 5 लाख तथा आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु रु. 3 लाख का बंधपत्र (बॉण्ड) निष्पादित करना होगा, जो कि निर्धारित प्रवेश की तिथि उपरान्त पाठ्यक्रम के मध्य में सीट का परित्याग करने की स्थिति में उपरोक्त बंधपत्र (बॉण्ड) की राशि देय होगी।

11. प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात् एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम के मध्य अवधि में सीट परित्याग करने हेतु अर्थदण्ड बंधपत्र :- द्वितीय काउंसिलिंग के प्रवेश की अंतिम तिथि/अंतिम आबंटन के प्रवेश उपरान्त उपरोक्त विवरणिका में उल्लेखित नियमानुसार सीट के परित्याग पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम के माध्य से सीट का परित्याग करने की स्थिति में क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए राशि रूपये 25,00,000/- (रूपये पच्चीस लाख मात्र) एवं आरक्षित श्रेणी की अभ्यर्थी के लिए राशि रूपये 20,00,000/- (रूपये बीस लाख मात्र) होगी।

बीडीएस पाठ्यक्रम के मध्य से सीट का परित्याग करने की स्थिति में क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए राशि रूपये 5,00,000/- (रूपये पांच लाख मात्र) एवं आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए राशि रूपये 3,00,000/- (रूपये तीन लाख मात्र) होगी।

विशेष परिस्थिति में यदि पाठ्यक्रम के दौरान कोई पूर्व में पात्र मेडिकली फीट छात्र यदि मेडिकली अनफीट (Medically Unfit) हो जाता है जिसे राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सा पाठ्यक्रम हेतु अनफीट बताया जाता है तो बंधपत्र (बॉण्ड) राशि में छूट शासन द्वारा दी जा सकेगी।

12. प्रवेश रद्द करना :- यदि यह पाया जाए कि कोई अभ्यर्थी किसी महाविद्यालय में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी गलती या चूक वश प्रवेश मिल गया है, तो अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश महाविद्यालय प्रमुख द्वारा उसके अध्ययन काल के दौरान स्वतः बिना किसी सूचना के रद्द किया जा सकेगा। संस्था प्रमुख के निर्णय से असंतुष्ट होने पर कार्यालय संचालक चिकित्सा शिक्षा में अपील कर सकेंगे। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका की स्थिति में, अपीलीय अधिकारी संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ का निर्णय अंतिम एवं सभी संबंधित लोगों पर बंधनकारी होगा।

13. अप्रवासी भारतीय नियतांश हेतु पात्रता एवं नियम जानकारी :-

(अ) पात्रता : केवल उसी अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु पात्रता होगी जो भारत का नागरिक हो, छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी हो अथवा राज्य के बाहर का निवासी हो और जिसने परीक्षा वर्ष के 31 दिसम्बर को न्यूनतम 17 वर्ष की आयु पूर्ण करता हो

तथा

जिसने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की बारहवीं कक्षा की परीक्षा या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त अन्य राज्यों के माध्यमिक शिक्षा मण्डलों की समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान/जैव-प्रौद्योगिकी विषयों में उत्तीर्ण की हो तथा विषय भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान/जैव-प्रौद्योगिकी में अनारक्षित श्रेणी में कुल अंक न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा आरक्षित श्रेणी में कुल अंक न्यूनतम 40 प्रतिशत अर्जित किए हों

तथा

चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु जिसने प्रवेश परीक्षा (NEET नियम 02 (क) (ख) के अनुरूप) में अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 50 प्रतिशतमक (Percentile), आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशतमक (Percentile) तथा अनारक्षित श्रेणी के दिव्यांगजन संवर्ग के अभ्यर्थी के लिये 45 प्रतिशतमक (Percentile) अंक अर्जित किये हों अथवा NEET प्रवेश परीक्षा द्वारा निर्धारित श्रेणीवार न्यूनतम अर्हता अंक, जो भी न्यूनतम होगा वह मान्य किया जायेगा। (भौतिक चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु कोई न्यूनतम अर्हताकारी अंक नहीं होंगे) यदि NEET के समस्त श्रेणी/किसी श्रेणी में प्रतिशतमक (Percentile) में केन्द्र शासन द्वारा कमी की जाती है तो वह मान्य होगी।

- (ब) अप्रवासी भारतीय नियतांश में प्रवेश की अंतिम तिथि, आरक्षण एवं शुल्क :- छ.ग. राजपत्र अधिसूचना क्रमांक एफ 21-10/2017/नौ/55-4 प्रकाशन क्रमांक 279 दिनांक 03 जुलाई 2017 के अनुसार प्रत्येक निजी महाविद्यालय की 15 प्रतिशत अप्रवासी भारतीय नियतांश की सीटों में संस्थावार प्रत्येक संस्था की सीटों में अनुसूचित जनजाति के लिये 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिये 12 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिये 14 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी।

शुल्क :- अप्रवासी भारतीय श्रेणी से प्रवेशित विद्यार्थियों को विदेश मुद्रा में भुगतान करना होगा।

अप्रवासी भारतीय नियतांश में प्रवेश की अंतिम तिथि :- प्रत्येक निजी व्यावसायिक निजी महाविद्यालय, प्रवेश की अंतिम तिथि के 10 दिन के पूर्व अप्रवासी भारतीय नियतांश में अभ्यर्थियों को प्रवेश देगा, जो कि अप्रवासी भारतीय नियतांश की अंतिम तिथि होगी।

- (स) अप्रवासी भारतीय नियतांश के लाभ हेतु पात्रता एवं दस्तावेज :-

1. अप्रवासी भारतीय प्रायोजक का अभ्यर्थी से अभ्यर्थी की पीढ़ी अथवा दो पीढ़ी पहले तक में माता या पिता पक्ष से रक्त संबंध की पुष्टि करता हो (जैसे : संबंध पिता, माता, भाई, बहन, भाई बहन की संतान, चाचा, चाचा की संतान, मामा, मामा की संतान, मौसी, मौसी की संतान, बुआ, बुआ की संतान, नाना, नानी, दादा, दादी से रिश्ता) इस हेतु वंशावली वृक्ष प्रमाण पत्र जो कि तहसीलदार या उससे उच्च अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया हो।
3. विदेश में निवास का प्रमाण हेतु वहाँ का ग्रीन कार्ड/कॉपी ऑफ पासपोर्ट वैध वीसा सहित/नागरिकता संबंधित सक्षम दस्तावेज/181 दिन अथवा अधिक का कार्य प्रमाण हेतु दस्तावेज/अन्य कोई सक्षम दस्तावेज जो इस बिन्दु की पूर्ति करता हो।

3. एन.आर.ई./एन.आर.आई./समकक्ष बैंक एकाउण्ट की स्टेटमेन्ट कॉपी।
4. वर्क परमिट जो कि न्यूनतम 181 दिन अथवा अधिक का हो/ग्रीन कार्ड-धारी की कॉपी जो कि बिन्दु क्र. 02 के अनुसार पूर्ति करता हो।
5. प्रायोजक की आय, सम्बंधित पाठ्यक्रम के शुल्क देने योग्य हो तथा शुल्क का भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाना होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त नियम 7 (xxi) में उल्लेखित दस्तावेजों की भी आपूर्ति करना होगा।

(द) अप्रवासी भारतीय नियतांश में प्रवेश की अंतिम तिथि :- प्रत्येक निजी व्यावसायिक निजी महाविद्यालय, प्रवेश की अंतिम तिथि के 10 दिन के पूर्व अप्रवासी भारतीय नियतांश में अभ्यर्थियों को प्रवेश देगा, जो कि अप्रवासी भारतीय नियतांश की अंतिम तिथि होगी।

14. केन्द्र शासन द्वारा अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अथवा भारतीय दंत परिषद अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा काउंसिलिंग तिथि, प्रक्रिया, न्यूनतम अर्हकारी प्राप्तांक, शुल्क इत्यादि अन्य संबंधित जारी किये गये आदेश एवं निर्देश समयावधि में प्राप्त होने पर लागू किये जायेंगे।

15. कठिनाइयों का निराकरण :- इन नियमों से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने की स्थिति में राज्य शासन उसके निराकरण हेतु आदेश जारी कर सकेगा।

16. प्रावीण्य सूची की समाप्ति :- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त शैक्षणिक सत्र हेतु प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात् प्रावीण्य सूची समाप्त हो जायेगी एवं रिक्त सीट/सीटें कालातीत हो जायेगी।

17. निरसन :- इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से "छत्तीसगढ़ चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा स्नातक/भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) प्रवेश परीक्षा" से संबंधित पूर्व के समस्त नियम निरसित हो जाएंगे तथापि उन नियमों के अन्तर्गत की गई प्रक्रिया मान्य होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. टण्डन, अपर सचिव.

अनुसूची – एक

छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी हेतु प्रारूप

क्रमांक दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....
आत्मज/आत्मजा/पत्नी

..... निवासी.....तहसील.....

..... जिला छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी है, क्योंकि : वह निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक शर्त की पूर्ति करता है :

1. वह (व्यक्ति) छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है/हुई है ।
 2. (क) वह (व्यक्ति)

अथवा

 (ख) उसके पालकों में से कोई –

अथवा

 (ग) उसके पालकों में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैध अभिभावक (गार्जियन) छत्तीसगढ़ में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है ।
 3. उसके पालकों में से कोई भी –

(क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है

अथवा

 (ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत है,
 4. (क) वह स्वयं (व्यक्ति)

अथवा

 (ख) उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं ।
- उपरोक्त शर्त के पूर्ति होने के बाद, व्यक्ति, नीचे दिये गये कम से कम एक शर्त की पूर्ति भी करेगा :
5. उसने छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश के जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में सम्मिलित है, में कम से कम 3 वर्ष तक अपनी शिक्षा प्राप्त की है ।
 6. उसने छत्तीसगढ़ के किसी भी शिक्षण संस्था से निम्न लिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों, अर्थात् :-

(क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या किसी शासकीय संगठन में सेवा के लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक या उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8वीं कक्षा की परीक्षा ।

(ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या किसी शासकीय संगठन में सेवा के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटरमीडियट हायर सेकेण्डरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो आठवीं कक्षा की परीक्षा ।

(ग) अन्य मामलों में पांचवीं कक्षा की परीक्षा ।
 7. अन्य सभी मामलों के लिये उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित में से किसी श्रेणी के व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी होंगे:

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को नियुक्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पत्नी/पति अथवा संतान ।

(ख) छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों की पत्नी/पति अथवा संतान ।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य में संवैधानिक या अन्य विधिक पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पत्नी/पति अथवा संतान ।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य के अधीन स्थापित संस्थाओं या निगम या मंडल या आयोग में पदस्थी पदाधिकारी/अधिकारी/कर्मचारी, उनकी पत्नी/पति अथवा संतान।

ऐसे बाबत् जो उपरोक्ता मापदण्डों के अनुसार वास्तविक निवासी हैं, उसकी पत्नी/पति अथवा संतान भी, छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी माने जायेंगे।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम एवं सील

अनुसूची – दो

प्रारूप (अ)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

भूतपूर्व मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी अथवा स्थायी रूप से निःशक्तता से बाधित
प्रतिरक्षा कार्मिक की संतान हेतु

संदर्भ क्रमांक

दिनांक.....

.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (माता/पिता का नाम)

..... जो कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा संचालित परीक्षा

के आधार पर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/कुमारी (छात्र/छात्रा का नाम)

..... के पिता/माता है।

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौ सेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक है। सेवानिवृत्त/सेवामृक्ति के समय वे ...

.....पद पर थे/थी और उनका सर्विस क्रमांक था।

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौ सेना में पद पर सर्विस क्रमांक के

अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से निःशक्तजन हो गए है/सेवा के दौरान वे स्थायी

रूप से निःशक्तजन हो गए है/सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष में हो चुकी है।

स्थान

दिनांक

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

कार्यालय सील

प्रारूप (ब)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

भूतपूर्व प्रतिरक्षा कर्मचारी द्वारा स्थायी रूप से छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक.....

.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री (अभ्यर्थी के माता/पिता का नाम) जो कि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/सुश्री (अभ्यर्थी का नाम) के माता/पिता है, भूतपूर्व प्रतिरक्षा कार्मिक है और स्थायी रूप से (स्थान) तहसील जिला छत्तीसगढ़ राज्य में व्यवस्थापित है।

स्थान

दिनांक

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

कार्यालय सील, सैनिक कल्याण अधिकारी

अनुसूची – दो

प्रारूप (स)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी की संतान हेतु

संदर्भ क्रमांक

दिनांक.....

.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री (अभ्यर्थी के माता/पिता का नाम) जो कि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/सुश्री (अभ्यर्थी का नाम) के माता/पिता (जो लागू न हो उसे काट दें) है, वह थल सेना/वायु सेना/नौ सेना में ओहदे पर सर्विस क्रमांक के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कार्मिक है और वह प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ हैं। वे इस इकाई में दिनांक से सेवारत है।

स्थान

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

दिनांक

कार्यालय सील, कमांडिंग ऑफिसर

प्रारूप

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण – पत्र

संदर्भ क्रमांक

.....

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री (अभ्यर्थी का नाम)

..... श्री/सुश्री(अभ्यर्थी के माता/पिता का नाम) के/की वैध संतान है।

जो श्री/सुश्री (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) के/की वैध संतान है श्री/सुश्री

(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम छत्तीसगढ़ के जिला के कलेक्टर

कार्यालय में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी में क्रमांक पर पंजीकृत है।

स्थान

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

दिनांक

कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत
डिप्टी कलेक्टर से अन्यून स्तर का
राजस्व अधिकारी पदनाम एवं सील

अनुसूची – चार

प्रारूप

राज्य मेडिकल बोर्ड प्रमाण-पत्र

छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल बोर्ड
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़

फोन नं.-0771-2234451, फ़ैक्स नं. 0771-2222212 E-mail : cgdme@rediffmail-com

क्रमांक/

/संचिशि/

रायपुर, दिनांक/

प्रमाण पत्र

दो पासपोर्ट
साईज
फोटोग्राफ

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री, पिता- श्री,
, उम्र-.....वर्ष (सत्यापित फोटोग्राफ) के आवेदन दिनांक.....के साथ संलग्न जिला/संभागीय
मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र क्रमांक....., दिनांक.....के परीक्षण एवं आवेदक के पूर्ण परीक्षण
उपरांत उनकी शारीरिक निःशक्ततापाई गई। उनकी कुल निःशक्तता प्रतिशत
है।

पहचान का निशान-

(अध्यक्ष)

राज्य मेडिकल बोर्ड

(सदस्य)

राज्य मेडिकल बोर्ड

(सदस्य)

राज्य मेडिकल बोर्ड

अनुसूची – पांच (क)

(250/- के नानज्युडिशियल स्टाम्प – पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

(छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा राज्य- शासन के अधीन सेवा करने हेतु बन्धत पत्र (बाण्ड) का प्रारूप)

1. मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री..... निवासी.....
.....छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी हूँ । मेरा चयन एमबीबीएस पाठ्यक्रम हेतु सामान्य/आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत हुआ है ।
2. यह कि मुझे वर्ष में आयोजित "पीएमटी-....." प्रवेश परीक्षा से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयमें शैक्षणिक सत्र में सीट आबंटित की गई है ।
3. यह कि वर्ष की काउंसलिंग के पूर्व मैंने छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की अधिसूचना क्रमांक.....रायपुर दिनांक छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश नियमों को पढ़कर भली भॉति समझ लिया है। उपरोक्त अधिसूचना के कंडिका जिसमें राज्य शासन के अधीन सेवा करने हेतु बन्ध पत्र निष्पादित करने संबंधित जानकारियाँ दी गई हैं, जिसे मैंने भली-भॉति समझ लिया है एवं मैं उक्त नियम की सभी बिन्दुओं से सहमत हूँ ।
4. मैं एतद् द्वारा बन्ध पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करता/करती हूँ, कि मैं एमबीबीएस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के उपरान्त राज्य शासन के अधीन दो वर्षों की कालावधि तक अनिवार्य रूप से कार्य करूंगा/करूंगी।
5. यदि अनिवार्य शासकीय सेवा अवधि के दौरान मेरा चयन चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु हो जाता है तो अनिवार्य शासकीय सेवा की शेष अवधि मेरे द्वारा चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण करने पश्चात् किया जायेगा।
6. यह कि इस बन्ध पत्र का उल्लंघन होने की दशा में शासन को अधिकार होगा कि मेरी चल व अचल संपत्ति से अथवा इस बन्ध पत्र में मेरे प्रतिभूति के रूप में हस्ताक्षरकर्ता श्री..... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री.....निवासी.....की चल व अचल संपत्ति (संपत्ति का सम्पूर्ण विवरण) से इस बन्ध पत्र की राशि रूपयेशब्दों में (रूपए.....) कि वसूली व साथ ही पाठ्यक्रम अवधि के दौरान शासन द्वारा भुगतान की गई सम्पूर्ण छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति की सम्पूर्ण राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जावेगी।
7. जब तक पूरी राशि की वसूली नहीं हो जाती तब तक मुझे अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जायेगा।

8. अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात् मैं संचालक चिकित्सा शिक्षा को उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करूंगा/करूंगी जिसकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम डिग्री प्रदान की जावेगी व राज्य मेडिकल बोर्ड में स्नातक योग्यता का स्थायी पंजीयन मुझे प्राप्त अंतिम डिग्री के आधार पर ही किया जावेगा ।
9. एमबीबीएस पाठ्यक्रम के सफलता पूर्वक पूर्ण किये जाने की सूचना विश्वविद्यालय से प्राप्ति के छः माह के भीतर यदि आयुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नियुक्ति आदेश जारी नहीं करते हैं तो यह बन्धपत्र स्वमेव निरस्त समझा जावेगा ।
10. यह कि मुझे ज्ञात है, कि विवाद की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।


गवाह : -

हस्ताक्षर


1.....हस्ताक्षर

आवेदक/निष्पादनकर्ता


2..... हस्ताक्षर




आवेदक



प्रतिभूतिकर्ता



गवाह 01



गवाह 02

प्रतिभूतिकर्ता

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....निवासी

.....उपरोक्तानुसार बन्ध पत्र के लिए प्रतिभूति तथा बन्ध पत्र के उल्लघन की दशा में बन्ध पत्र में उल्लेखित राशि मेरी चल व अचल संपत्ति से वसूल की जा सकेगी ।

हस्ताक्षर

प्रतिभूतिकर्ता

अनुसूची-पांच (ख)

(सभी प्रवेशित अभ्यर्थियों हेतु)

(250/- के नानज्योडशियल स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

मेरा पुत्र/पुत्रीआत्मज/आत्मजा श्री.....
 निवासी..... छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालयमें स्नातक पाठ्यक्रम (एमबीबीएस) में प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थी हूं।

1. मैंने छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना क्रमांक दिनांक "छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा, स्नातक प्रवेश नियम -" एवं "निर्देशिका" में निहित प्रावधानों को भली-भांति पढ़कर समझ लिया है।
2. मेरा पुत्र/पुत्री राज्य कोटे की सामान्य/आरक्षित श्रेणी का छात्र/छात्रा है।
3. मैं एतद् द्वारा यह शपथ पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करता हूं कि :-
 - (क) मेरा पुत्र/पुत्री स्नातक पाठ्यक्रम सफलता पूर्वक पूर्ण करने के पश्चात्, शासन द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में दो वर्षों की कालावधि तक चिकित्सा अधिकारी के रूप में शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र/संस्था में कार्य करेगा/करेगी।
 - (ख) मेरा पुत्र/पुत्री के द्वारा उपरोक्त अवधि तक ग्रामीण सेवा करने का प्रमाण पत्र जिसे आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें के द्वारा प्रदान किया जायेगा के प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उसे स्नातक की उपाधि की प्राप्ति हेतु संस्था प्रमुख द्वारा अनापत्ति प्रदान की जायेगी।
 - (ग) मेरे पुत्र/पुत्री के द्वारा ग्रामीण सेवापूर्ण न करने की दशा में मेरे पुत्र/पुत्री की स्नातक उपाधि व मूल अभिलेख राजसात किये जा सकेंगे।
 - (घ) यदि मेरे पुत्र/पुत्री के द्वारा द्वितीय काउंसिलिंग की प्रवेश की अंतिम तिथि उपरान्त शिक्षण सत्र हेतु एमबीबीएस पाठ्यक्रम की प्रवेशित सीट का परित्याग किया जाता है तो, मेरे द्वारा अनारक्षित श्रेणी हेतु रु. 25 लाख अथवा आरक्षित श्रेणी हेतु रु. 20 लाख तथा छात्रवृत्ति की सम्पूर्ण राशि (यदि कोई हो तो) शासन को देय होगी।

पता

फोन नं.

अभिभावक

अभिभावक का फोटो
अभिभावक

प्रतिभूतिकर्ता का फोटो
प्रतिभूतिकर्ता

हस्ताक्षर

प्रतिभूतिकर्ता

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....निवासी
उपरोक्तानुसार शपथ पत्र के उल्लंघन की दशा में शपथ पत्र में उल्लेखित राशि मेरे द्वारा प्रदाय की जायेगी।

गवाह के हस्ताक्षर नाम एवं पता सहित : -

1.....
 हस्ताक्षर

2.....
 प्रतिभूतिकर्ता

गवाह नं.
 01 का
 फोटो

1. गवाह

गवाह नं.
 02 का
 फोटो

2. गवाह

नाम :.....

पता :.....

.....

अनुसूची-पांच (ग)

(सभी प्रवेशित अभ्यर्थियों हेतु)

(250/- के नानज्योडशियल स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

छत्तीसगढ़ के दंत चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

मेरा पुत्र/पुत्रीआत्मज/आत्मजा श्री.....
 निवासी..... छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालयमें स्नातक पाठ्यक्रम (एमबीबीएस) में प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थी हूं।

1. मैंने छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना क्रमांक दिनांक "छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा, स्नातक प्रवेश नियम - " एवं "निर्देशिका" में निहित प्रावधानों को भली-भांति पढ़कर समझ लिया है।
2. मेरा पुत्र/पुत्री राज्य कोटे की सामान्य/आरक्षित श्रेणी का छात्र/छात्रा है।
3. मैं एतद् द्वारा यह शपथ पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करता हूं कि :-

यदि मेरे पुत्र/पुत्री के द्वारा द्वितीय काउंसिलिंग की प्रवेश की अंतिम तिथि उपरान्त शिक्षण

सत्र हेतु बीडीएस पाठ्यक्रम की प्रवेशित सीट का परित्याग किया जाता है तो, मेरे द्वारा अनारक्षित श्रेणी हेतु रु. 5 लाख अथवा आरक्षित श्रेणी हेतु रु. 3 लाख तथा छात्रवृत्ति की सम्पूर्ण राशि (यदि कोई हो तो) शासन को देय होगी।

पता

फोन नं.

अभिभावक

अभिभावक
का
फोटो

अभिभावक

प्रतिभूतिकर्ता
का
फोटो

प्रतिभूतिकर्ता

हस्ताक्षर

प्रतिभूतिकर्ता

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....निवासी

.....उपरोक्तानुसार शपथ पत्र के उल्लंघन की दशा में शपथ पत्र में उल्लेखित राशि मेरे द्वारा प्रदाय की जायेगी।

गवाह : -

1.....
2.....

गवाह नं.
01 का
फोटो

1. गवाह

गवाह नं.
02 का
फोटो

2. गवाह

हस्ताक्षर
प्रतिभूतिकर्ता

नाम :.....

पता :.....

.....